सं. फा. 14(3)/एलए-2013/Cons. 2 Law/22.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 28 मार्च, 2013 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

2013

"दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2013 (2013 का दिल्ली अधिनियम 02)

(20 मार्च, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[28 मार्च, 2013]

वर्ष 2012-13 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त शीर्षक

1079,85,00,000/- रुपयों का वर्ष 2012-2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

विनियोजन।

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम,
2013 है।

- 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक हजार उन्नयासी करोड पिचासी लाख रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2012-2013 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।
- उ. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अविधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

				राशि इससे अधिक नह	
मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड
1	2		3	4	5
1	विधान मंडल	राजस्व			
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	7200	3570	10770
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	202		202
4	वित्त	राजस्व	30000		30000
5	गृह	राजस्व	2900	800	3700
		पूंजी .	10000		10000
6	शिक्षा	राजस्व	2300	12848	15148
		पूंजी	100		100
7	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	1700	500	2200
		पूंजी	100000		100000
8	समाज कल्याण	राजस्व	2580994	1806	2582800
		पूंजी	4414500		4414500
9	उद्योग	राजस्व	900		900
10	विकास	राजस्व	3095180		3095180
	,	पूंजी	528700		528700
11	शहरी विकास एवं लोक	राजस्व	2200		2200
	निर्माण	पूंजी	2100		2100
12	ऋण	पूंजी			• •
13	पेंशन	राजस्व			
	जोड		10778976	19524	10798500

No. F. 14(3)/LA-2013/Cons 2 Law/22.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 28th March, 2013 and is hereby published for general information:—

"The Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2013 (Delhi Act 02 of 2013)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 20th March, 2013)

[28th March, 2013]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2012-13.

BE it enacted by the Legilative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

Issue of Rs. 1079,85,00,000/from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2012-2013

Appropriation.

- 1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 1) Act, 2013.
- 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees one thousand seventy nine crore eighty five lac only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2012-2013 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.
- The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs. in thousands)

	Sums Not Exceeding						
Demand No.	Services and p	urposes	Voted by the Legislative Assembly	Charges on the Consolidated Fund	Total		
1	2		3	4	5 .		
1	Legislative Assembly	Revenue	, a = 10 .				
2	General Administration	Revenue	7200	3570	10770		
3	Administration of Justice	Revenue	202		202		
4	Finance	Revenue	30000		30000		
5	Home	Revenue Capital	2900 10000	800	3700 10000		
6	Eduacation	Revenue Capital	2300	12848	15148 100		
7	Medical and Public Health	Revenue Capital	1700 100000	500	2200 100000		
8	Social Welfare	Revenue Capital	2580994 4414500	1806	2582800 4414500		
9	Industries	Revenue	900		900		
10	Development	Revenue Capital	3095180 528700		3095180 528700		
11	Urban Development and Public Works	Revenue Capital	2200 2100		2200 2100		
12	Loans	Capital					
13	Pension	Revenue			* *		
96 - 181 - 11	Total		10778976	19524	10798500		